

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY AREA - LUCKNOW
UNDER THE U.P (URBAN PLANNING DEVELOPMENT ACT, 1973)

APPLICATION NO : 46063/127008

FILE No : NR-203/EE-3/HSG/2013

WARD : HASANGANJ

SCHEME : NonScheme - Map
Approvals

PERMIT NO : 38814

APPLICATION DATE : 13/12/2013

CATEGORY :

SITE OF CONSTRUCTION :

Ahmamur&Ardau

NAME

:Paarth Infrabuild Pvt Ltd

ADDRESS

: Ymca Building, Rana Pratap Marg Lucknow

Sanction vide order dated 21/09/2015 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity : 20/09/2020

Restriction if Required : - ५०० अगुल वल अगुलद अगुलदल अगुल अगुल

अगुलद अगुलद अगुलद

२५८/२-५.१५

Signature of Competant Authority (BHAWAN)
Under the U.P.

Urban Planning and Development Act, 1973

प्रतिबन्ध

1. फायर विभाग की अनापत्ति में अंकित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा
2. होटल एवं सर्विस अपार्टमेंट का उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।
3. समस्त अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित सर्विसेज की कनेक्टिविटी पक्ष द्वारा सुनिश्चित करना होगा।
4. भवन निर्माण में नेशनल सेफ्टी काउंसिल तथा लेबर एक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त सुरक्षा प्रबन्धों को सुनिश्चित करना होगा।
5. शासनादेश के कम में भूकम्परोधी प्रबन्ध, रेन वाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम, व वृक्षारोपण स्कूल भवन निर्माण, लैण्ड स्केपिंग का विकास आदि का प्रबन्ध सुनिश्चित करना होगा।
6. एन.बी.सी. के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना होगा।
7. विकलांग, दृष्टिबाधित व आश्रित व्यक्तियों के भवन में आवागमन हेतु शासनादेश के अनुसार प्रबन्ध करना होगा।
8. योजना के अन्तर्गत एस.टी.पी. के निर्माण को सुनिश्चित करना होगा।
9. पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त ही भवन के उपयोग की अनुमति दी जायेगी।
10. होटल के उपयोग हेतु सरायएक्ट के अन्तर्गत सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना होगा
11. यदि भविष्य में कोई देनदारी निकलती है तो मांगे जाने पर प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा

Handwritten signature
5E

Handwritten signature
A€